B.P. 842 /2020

न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम, गोपालगंज।

जमानत आवेदन संख्या – 842/2020

1. तैयब मियां एवं

2. नौशाद आलम .....आवेदकगण

बनाम

बिहार सरकार.....विपक्षी पक्ष

आवेदकगण के तरफ से श्री अब्बु शमीम अंसारी, अधिवक्ता ।

विपक्षी के तरफ से श्री देव वंश गिरि, लोक अभियोजक ।

02.12.2020

काराधीन आवेदक अभियुक्त तैयब मियां एवं नौशाद आलम जो दिनांक 10.08.2020 से न्यायिक अभिरक्षा में हैं, तथा महम्मदपुर थाना कांड संख्या 169/20 अन्तर्गत धारा 147, 149, 341, 323, 302, 447, 427, 504 भारतीय दण्ड संहिता का अभियुक्त है, के तरफ से दाखिल जमानत आवेदन उनके विद्वान अधिवक्ता के द्वारा संचालित किया गया ।

उभय पक्ष को सुना ।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक के तरफ से दाखिल जमानत आवेदन विद्वान अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम द्वारा दिनांक 04.11.20 को खारिज किया गया है । आवेदक बिल्कुल निर्दोष है, उसने कोई अपराध नहीं किया है । गांव की राजनीति के कारण झूठा फंसा दिया है । आवेदक ने कोई आपराधिक कृत्य नहीं किया है । अंत में प्रार्थना किया गया है कि आवेदक को जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाये ।

विद्वान लोक अभियोजक द्वारा जमानत का विरोध करते हुए कथन किया गया कि आवेदकगण द्वारा सह अभियुक्तों के साथ मिलकर सूचक के पिता की हत्या कर दिया है ।

अभियोजन का केस संक्षेप में यह है कि सूचक कमल ठाकुर दिनांक 09.08.20 को 9:30 बजे सुबह अपने पिता के साथ अपने दरवाजे पर बैठा था कि उसके गांव के आवेदकगण सहित सह अभियुक्तगण एक राय एवं हुजुम बनाकर दरवाजे पर आये और केला को उखाड़ने लगे, सूचक के पिता मना किया तो तैयब मियां गाली गाली देते हुए बोला कि जान से मार दो, इस पर सभी अभियुक्तगण

<u>लगातार 02.12.20</u>

सूचक के पिता को पटक दिये और जान मारने की नीयत से छाती पर मारने लगे जिससे पिता की मृत्यु घटनास्थल पर ही हो गई ।

कांड दैनिकी एवं अभिलेख का अवलोकन किया जिससे स्पष्ट है कि आवेदकगण पर सह अभियुक्तों के साथ मिलकर सूचक के पिता को पटकर कर छाती पर मारने का अभियोग है जिससे सूचक के पिता पारस नाथ ठाकुर की मृत्यु घटनास्थल पर ही हो गई है । कांड दैनिकी के कंडिका 6, 7, 8, 25, 26 में साक्षियों का बयान दर्ज है जिसने घटना का एवं उसमें आवेदकगण की संलिप्तता का पूर्ण समर्थन किया है । अनुसंधानकर्ता से घटना को सत्य पाकर दोनों आवेदक के विरूद्ध आरोप पत्र समर्पित कर दिया है । आवेदकगण पर हत्या कारित करने का गम्भीर आरोप है । मेरे विचार में आवेदकगण को जमानत पर मुक्त करना उचित प्रतीत नहीं होता है ।

अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में आवेदक तैयब मियां एवं नौशाद आलम के तरफ से दाखिल जमानन आवेदन ***<u>अस्वीकृत</u>*** किया जाता है ।

(लेखापित)

अपर सत्र न्यायाधीश पंचम,

गोपालगंज ।

प्रतिलिपि :– अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम, गोपालगंज को सूचनार्थ प्रषित ।

अपर सत्र न्यायाधीश पंचम,